

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :- रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 27/2021

वादीगण-

1. हनुमानराम पुत्र रामचन्द्र
जाति-जाट निवासी-सिलारिया, तहसील जायल (नागौर)
बनाम

प्रतिवादीगण -

1. ओम कंवर पत्नी मोहनसिंह
2. दिलिपसिंह पुत्र मोहनसिंह
3. बलवन्तसिंह पुत्र मोहनसिंह
4. मंजूकंवर पुत्री मोहनसिंह
5. तेजसिंह पुत्र मेघसिंह
6. प्रेमसिंह पुत्र मेघसिंह
7. राजकंवर पत्नी मेघसिंह
8. हड़मानसिंह पुत्र मेघसिंह
9. जातियान राजपूत निवासीगण सिलारिया तहसील जायल।
तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

उपस्थिति :-

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 9 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक : 30/12/2017

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के बडेर की पुस्तैनी एवं सहखातेदारी की भूमि मौजा सिलारिया तहसील जायल में खेत खसरा नं. 396 रकबा 1.8454 हैक्टेयर रहती चली आई है। जिसमें से वादी ने खसरा नंबर 396 में से 5.14 बीघा पश्चिमी भाग प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के पिता व पति एवं प्रतिवादी 5 से 8 से जरिये रजिस्टर्ड बेचान खरीद कर प्राप्त किया तथा दिनांक 01.07.2013 को प्रतिफल राशि का भुगतान करके कब्जा काश्त प्राप्त किया। जिससे वादी का उक्त खेत खसरा नंबर 396 रकबा 1.8454 हैक्टेयर में से 5.14 बीघा में कानूनी हिस्सा निहित है। वादी के द्वारा दिनांक 01.07.2013 को ग्राम सिलारिया के खेत खसरा नंबर 396 रकबा 1.8454 हैक्टेयर में से 05.14 बीघा को जरिये रजिस्टर्ड खरीदकर मौके पर भौतिक कब्जा प्राप्त करने के बावजूद नामान्तरण दर्ज नहीं

30/12/2017
राजस्थान कलेक्टर
(जायल)

हुआ क्यों कि इसी दौरान ही खातेदार बेचानकर्ता मोहनसिंह की मृत्यु हो गई जिससे खातेदार मोहनसिंह की मृत्यु के बाद बाकी के खातेदारी के खेताय के साथ खेत खसरा नंबर 396 में मोहनसिंह के वारिसान् का नामान्तकरण दर्ज हो गया। जिससे वादी के द्वारा खरीदे गये खेत के रकबे का नामान्तकरण दर्ज नहीं हुआ व अपने हक में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के पिता व पति तथा प्रतिवादी संख्या 5 से 8 से खरीद करने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता व पति के फौत होने पर वादी के खरीद किये गये खेत के रकबे में नाम दर्ज नहीं होने से खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुआ जबकि मौके पर वादी का उक्त खेत खसरा नंबर 396 रकबा 1.8454 हैक्टेयर में से 5.14 बीघा पर कब्जा काश्त है लेकिन वादी खातेदारी अधिकार से महरूम है। जबकि वादी ने दिनांक 01.07.2013 को ही प्रतिवादीसंख्या 1 से 4 के पिता व पति तथा प्रतिवादी संख्या 5 से 8 से उपरोक्त रकबा 5.14 बीघा खरीदकर प्रतिफल की राशि अदा कर बेचान पंजीयन अपने पक्ष में निष्पादित करवा लिया था जिसके नामान्तकरण की कार्यवाही नियम 141 के तहत तहसीलदार जायल द्वारा की जानी थी लेकिन कार्यवाही नहीं हुई तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता व पति की मृत्यु हो जाने से उनके नाम फौतगी का नामान्तकरण दर्ज कर दिये जाने से वादी के खरीदे गये रकबे की खातेदारी अधिकारी प्राप्त नहीं होने से तथा राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक वादपत्र स्वीकार किया जाकर सिलारिया के खेत खसरा नंबर 396 रकबा 1.8454 बीघा में से 5.14 बीघा में वादी को खातेदार घोषित करते हुवे डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिपोर्ट में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 ने दिनांक 30.11.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प शिविर ग्राम पंचायत भावला में राजीनामा व प्रतिवादी संख्या 5 से 8 ने दिनांक 14.12.2021 को ईकबाली जबाब पेश किया। जिसमें वादी की पहचान अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की पहचान अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेंदा ने की। राजीनामा एवं ईकबाली जबाब शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 9 स्वयं प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प कोर्ट में राजपेरोकार के रूप में उपस्थित है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 द्वारा प्रकरण के संबंध में राजीनामा व ईकबाली जबाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 9 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात) की आवश्यकता नहीं हुई तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह हनुमानराम पुत्र रामचन्द्र के पेश हुवे। नकल जमाबन्दी ग्राम सिलारिया तहसील-जायल सम्वत् 2073-2076 खाता संख्या 22 पेश हुवे। कार्यालय पंजीयक जायल द्वारा पजीकृत कयनाम के दस्तावेज जो वादी हनुमानराम ने प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता व पति तथा प्रतिवादी संख्या 5 से 8 से खसरा नंबर 396 रकबा 1.8454 में से 5.14 बीघा पश्चिमी भाग कय किया था जो पत्रावली में सलंगन है। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नहीं करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद

AL
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 8 द्वारा पत्रावली में जरिये राजीनामा व ईकबाली जबाब को वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफिक राजीनामा व ईकबाली जबाब में वर्णित पैराज माफिक स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 के पिता व पति व प्रतिवादी संख्या 5 से 8 द्वारा वादी हनुमानराम को किये गये 5.14 बीघा भूमि के बेचान की खातेदारी घोषणा हक बंट को जरिये राजीनामा आपसी सहमति से स्वीकारा है तथा माफिक राजीनामा वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता व पति तथा प्रतिवादी संख्या 5 से 8 द्वारा पंजीकृत खरीदसुदा है तथा पक्षकारान का कब्जा काश्त भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 30.11.2021 व 14.12.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने किया।

पत्रावली में प्रस्तुत पक्षकारान को सुनकर उनके द्वारा प्रस्तुत वादपत्र, जमाबन्दी अभिवचन, शहादत एवं राजीनामें पर मनन व अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 9 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। हस्तगत प्रकरण में खसरा नंबर 396 रकबा 1.8454 हैक्टेयर में से 05.14 बीघा का जरिये रजिस्टर्ड बेचान वादी हनुमानराम को दिनांक 01.07.2013 को पूर्व में ही हो चुका है। जमाबन्दी के अनुसार मोहनसिंह के फौत होने के पश्चात् उनके उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तक के नाम जरिये नामान्तकरण से परिवर्तित हुए हैं शेष खातेदारी अधिकार प्रतिवादी संख्या 5 से 8 यथावत है। उक्त खसरे में मोहनसिंह व प्रतिवादी संख्या 5 से 8 के तत्कालीन खातेदारी अधिकारों का हस्तान्तरण जरिये रजिस्टर्ड बेचान हो जाने से रकबा 5.14 बीघा वादी हनुमानराम के नाम नामान्तकरण दर्ज किया जाना विधिसम्मत था परन्तु राजस्व रिकार्ड संधारण में हुई भूल से मोहनसिंह के उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का नाम रिकार्ड में नाम दर्ज होकर वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 5 से 8 के साथ यथावत है। इसलिये मोहनसिंह के उत्तराधिकारी प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 व प्रतिवादी संख्या 5 से 8 के नाम नामान्तकरण/ Fiscal Proceeding हुई है जो कि प्रारंभ से ही शून्य है अर्थात् NULL & Void है। वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा व ईकबाली जबाब दिनांक 30.11.2021 व 14.12.2021 में वादी हनुमानराम तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 ने आपसी सहमति के अनुसार खातेदारी घोषणा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है। उपर्युक्त प्रकार से वादी अपने हिस्से की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी हैं।

Handwritten signature and stamp: राजपैरोकोर (राजपैरोकोर) जायल


हमारी राय में मौजा सिलारिया के वादग्रस्त खसरा नंबर 396 रकबा 1.8454 हैक्टेयर में से 5.14 बीघा भूमि मृतक मोहनसिंह व प्रतिवादी संख्या 5 से 8 से वादी द्वारा जरिये पंजीकृत बेचाननामें से खरीदसुदा है, प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 मोहनसिंह के उत्तराधिकारी है। वादी खरीदसुदा 5.14 बीघा भूमि की खातेदारी अपने हक में घोषणा करवा सकता है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 से 8 द्वारा किसी प्रकार उजर आपति प्रस्तुत नहीं की है। विधिक रूप से फौतगी नामान्तकरण से पूर्व यह 5.14 बीघा की नामान्तकरण की प्रक्रिया पूर्ण होनी चाहिए थी क्योंकि खातेदारी अधिकारों का जरिये बेचान हस्तान्तरण हो चुका है। फौतगी नामान्तकरण निरस्त होना चाहिये, इस प्रकरण में प्रतिवादीगण ने सहमति जाहिर की एवं स्वीकार किया है तो इस स्तर पर यदि फौतगी से नामान्तकरण जो भरा गया है, को निरस्त किया जाता है तो प्रक्रियागत जटिलाताएं बढ़ेगी। हिस्सा या खातेदारी अधिकारी वादी को 5.14 बीघा में ही मिलने हैं शेष भूमि यथावत प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 के ही रहनी है। अतः मौजा सिलारिया के खेत खसरा नंबर 396 रकबा 1.8454 हैक्टेयर में से 5.14 बीघा पर वादी हनुमानराम को प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के साथ सहखातेदार घोषित करते हुवे वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

- :: आदेश :: -

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा सिलारिया के खेत खसरा नंबर 396 रकबा 1.8454 हैक्टेयर में से 5.14 बीघा पर वादी हनुमानराम को प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. यह है कि मौजा सिलारिया के खेत खसरा नंबर 396 रकबा 1.8454 हैक्टेयर में से वादी हनुमानराम को 5.14 बीघा का सहखातेदार घोषित किया जाता है।
2. शेष खाता बदस्तूर रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30/12/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।


30/12/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला-नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 277/2021

वादीगण-

1. हनुमानराम पुत्र रामचन्द्र, जाति-जाट निवासी-सिलारिया, तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. ओम कंवर पत्नी मोहनसिंह
2. दिलिपसिंह पुत्र मोहनसिंह
3. बलवन्तसिंह पुत्र मोहनसिंह
4. मंजूकंवर पुत्री मोहनसिंह
5. तेजसिंह पुत्र मेघसिंह
6. प्रेमसिंह पुत्र मेघसिंह
7. राजकंवर पत्नी मेघसिंह
8. हड़मानसिंह पुत्र मेघसिंह

जातियान राजपूत निवासीगण सिलारिया तहसील जायल।

9. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

उपस्थिति :-

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 9 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

- :: डिक्री आदेश :: -

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीनी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 8 हाजरी श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 9 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि - यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा सिलारिया के खेत खसरा नंबर 396 रकबा 1.8454 हैक्टेयर में से 5.14 बीघा पर वादी हनुमानराम को प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

30/12/2021
उपखण्ड कलेक्टर
(राजस्व) जायल

1. यह है कि मौजा सिलारिया के खेत खसरा नंबर 396 रकबा 1.8454 हैक्टेयर में से वादी हनुमानराम को 5.14 बीघा का सहखातेदार घोषित किया जाता है।
2. शेष खाता बदस्तूर रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30/12/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

HV
30/12/2021
(रवीन्द्र कुमार) कलेक्टर
जायल

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

तीज - मुबलिग - बाबत् - खर्चा इस मुकदमे के मय व भारह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30/12/2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

HV
30/12/2021
(रवीन्द्र कुमार) कलेक्टर
जायल

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)